न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010035942025

Sessions Case/1813/2025
State of U.P. Vs. Aas Mohammad Urph Bhoore

सत्र परीक्षण संख्या 1813/2025

मु0अ0सं0 133/2025
सरकार बनाम भूरे उर्फ आस मौहम्मद
अ0 धारा 333,75,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
7/8 पोक्सो एक्ट, थाना–हापुड देहात़, जिला हापुड़।

04.09.2025 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त भूरे उर्फ आस मौहम्मद जेरे हिरासत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 333, 75, 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 7/8 पोक्सो एक्ट, के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 22.09.2025 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

दि0 04.09.2025

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2025.09.05 09:59:35 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010035942025

Sessions Case/1813/2025
State of U.P. Vs. Aas Mohammad Urph Bhoore
सत्र परीक्षण संख्या 1813/2025

मु0अ0सं0 133/2025
सरकार बनाम भूरे उर्फ आस मौहम्मद
अ0 धारा 333,75,115(2),352,351(3) बी0एन0एस0
7/8 पोक्सो एक्ट, थाना–हापुड देहात, जिला हापुड़।

आरोप

मैं, ज्ञानेन्द्र सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त भूरे उर्फ आस मौहम्मद पर यह आरोप लगाता हूँ कि –

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 26.04.2025 को समय दोपहर करीब 01.30 बजे ग्राम गोंदी बहद थाना हापुड देहात जिला हापुड में आपने वादिनी /अव्यस्क पीडिता ''पी'' उम्र करीब 16 वर्ष की लज्जा भंग करने के आशय से उसके घर में घुसकर गृह अतिचार किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 333 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने वादिनी /अव्यस्क पीडिता ''पी'' उम्र करीब 16 वर्ष के घर में घुसकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकडा व उसके साथ छेडछाड कर लैंगिक उत्पीडन किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 75 बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर पीडिता द्वारा शोर मचाने पर बचाने आए उसके भाई बिकुल व पीडिता के साथ मारपीट कर उपहति कारित की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 115(2) बी0एन0एस0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने पीडिता व उसके भाई बिकुल को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 351(3) के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमतः:– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने पीडिता व उसके भाई बिकुल को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौंच की । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0न्याय संहिता की 352 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

षष्टमतः:–यह कि उपरोक्त दिनांक , समय व स्थान पर आपने गृह अतिचार कर पीडिता की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकडा व उसके साथ छेडछाड/ लैंगिक हमला कर ऐसा कार्य कारित किया जो पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 04.09.2025 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
दि0 04.09.2025 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट/
हापुड।